72/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	अहलकार की तारीख हुक्म
05.10.23	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है पत्रावली वास्ते शेष गवाहान /जिरह आईंदा दिनांक 27.10.2023 को पेश है।	
27/10/2023	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है पत्रावली वास्ते वादीनी पक्ष गवाहान दिनांक 08/12/2023 को पेश है।	
08.12.2023	पक्षकारान के अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता संघ बालोतरा के चुनाव होने के कारण कार्य स्थगन रखा गया है। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते वादीनी पक्ष गवाहान दिनांक 11.01.2024 को पेश हो।	
11/01/24	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 13/3/2024 को पेश है।	
07/3/2024	पत्रावली वादीनी मय वकील के निवेदन पर पेशी तारीख पर ली गई। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादीनी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते - वाद-पत्र विड्रॉल बाबत, पेश की गई, जो शामिल पत्रावली ... वकील वादीनी ने निवेदन कीया कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझाईश व ... की भावना से प्रेरित होकर विवादित भूमि के संबंध में राजीनामा हो गया है। अब प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है, क्योंकि वादीनी भविष्य में भी ...	वाद पत्र आगे चलाना नहीं चाहती है। विड्रॉल किया जावे। (अंगूठा निशानी) अ.नि. तुलसीदेवी; Identify by me ... (हस्ताक्षर) (गौतमचन्द Adv.) 7/3/24

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:07:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी। अतः वादिनी का वाद पत्र जरिए निर्णय खारिज फरमाया जावे। चूंकि प्रतिवादी ने निवेदन कीया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा होने के कारण वादी खारिज किया जाता है, तो आपत्ति नहीं है। हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि स्वयं वादिनी अपना वाद-पत्र आगे चलाना नहीं चाहती है। क्योंकि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है जो स्वयं वादिनी द्वारा स्वीकार कीया गया है इस प्रकार वाद हेतुक समाप्त हो गया है अब प्रकरण को आगे चलाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर वादिनी का वाद-पत्र जरिए निर्णय खारिज किया स्वयं पर ~~खर्च~~ किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (S.D.O.) [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:07:08 IST
Reason: SelfAttested